भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

टेलीफोन: 91-22-25752040-43 & 45
फैक्स: 91-22-25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

"बीटा बिल्डिंग" 9 वी मंज़िल / "BETA BLDG." 9th FLOOR,
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / i-THINK TECHNO CAMPUS,
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST),
मुम्बई - 400042 / MUMBAI – 400 042.

Tele: 91-22-25752040-43 & 45
Fax: 91-22-25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

वर्ष 2015 की वाणिज्यिक पोत परिवहन सूचना सं.03

फा.सं. सीआर/विविध/1/2009 दिनांक :19.03.15

विषय : वाणिज्य पोत परिवहन में रसोईए के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र.

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) के सदस्य राष्ट्रों की अपेक्षित संख्या द्वारा समुद्रीय श्रम कन्वेंशन, 2006 का अनुसमर्थन किए जाने के उपरांत यह 20/08/2013 को विश्व भर में प्रवृत्त हो गया है. 20/08/2013 के बाद विश्व में जिन वाणिज्य पोतों का निरीक्षण पत्तन राष्ट्र नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत किया जाएगा अन्य के साथ-साथ एमएलसी के अनुपालन के प्रयोजन हेतु भी उनका निरीक्षण किया जाएगा. भारत द्वारा उक्त कन्वेंशन का अनुसमर्थन वर्तमान में उन्नत चरण में है. तथापि, इसी बीच वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2014 के माध्यम से यथा संशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में पहले से ही एमएलसी पर कानून बना लिए गए हैं और यह 1 अप्रैल, 2015 से दिनांक 16/02/2015 की पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना एसओ 522(ई) के अनुसार प्रवृत्त हो गए हैं. (सं.एसआर-12011/1/2011-एमजी).

2. एमएलसी, 2006 में इसके मानक ए 3.2 परिच्छेद 3 में निश्चित प्रकार की अपेक्षाएं दी गई हैं जो वाणिज्य पोत स्वामियों पर ये बाध्यकारिता डालती हैं कि वे ये सुनिश्चित करें कि समुद्रकर्मी जो कि पोत पर रसोईए के रूप में काम कर रहें हैं जो प्रशिक्षित, योग्यता प्राप्त और उक्त पद हेतु सक्षम पाए गए हैं जैसा कि संबंधित सदस्य राष्ट्र की विधियों और विनियमों में अपेक्षाएं दी गई हैं.

--2

3. वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्य पोत परिवहन में रसोईए के रूप में सक्षमता को प्रमाणपत्र) नियमावली, 1991 को, यथासंशोधित, दिनांक 13/12/1991 की वाणिज्य पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 709(फा.सं.ए-33025/19/91-एमटी) के माध्यम से प्रख्यापित की गई जिसमें मर्चेंट नेवी में रसोईए हेतु सक्षमता के उक्त प्रमाण को जारी किए जाने के लिए पात्रता और योग्यताओं के विवरण विहित किए गए हैं.

4. मुंबई, चेन्नई और कोलकाता स्थित सरकारी नौवहन कार्यालयों के नाविक पालों ने अपने 3 (तीन) अधिकार क्षेत्र से संबंधित, उक्त नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत पहली अनुसूची में निहित विहित आरूप में उक्त सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया है.

5. उक्त नियमावली के अंतर्गत जारी किए गए सक्षमता प्रमाण पत्र एमएलसी, 2006 के उक्त मानकों को कवर करते हैं. इसलिए यह सभी संबंधितों के लिए स्पष्ट किया जाता है कि मर्चेंट नेवी में रसोईए के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र उक्त नियमावली के अंतर्गत जारी किया जाना एमएलसी का अनुपालन है.

6. इसे नौवहन महानिदेशक और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार अनुमोदन से जारी किया जाता है.

(सुभाष बरगूजर)
सहायक नौवहन महानिदेशक (क्रू)